

विभाग का नाम :- ऊर्जा विभाग
विभाग का पता :- आठवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय


अतारांकित प्रश्न संख्या-24

दिनांक :- 19.03.2018

प्रश्नकर्ता श्री सुरेन्द्र सिंह

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न	उत्तर
क) किर्बी प्लेस झुग्गी, बरार स्कवेयर और के.वी. नं.-1 के पास झुगियों में बिजली उपलब्ध करवाने का कार्य किस स्तर पर चल रहा है ; और	इस संबन्ध में सचिव (ऊर्जा) द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एवं डिस्कॉम/दिल्ली छावनी परिषद के साथ बैठक की गई थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यह विषय डिस्ट्रीब्यूशन लाईसेंस से सम्बंधित है जो की दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था। आयोग द्वारा भेजा गया जवाब संलग्न है। (अनुलग्नक IV)
ख) इनको बिजली कब तक उपलब्ध करवा दी जाएगी ?	


(वर्षा जोशी)
सचिव (ऊर्जा)
Varsha Joshi
Secretary (Power)

पूरक नोट (Supplementary Note)

Q. NO. 24:

(a) + (b)	<p>The Hon'ble High Court of Delhi in WP(C) No. 4349 of 2017 titled as 'Court on its motion vs. Government of NCT of Delhi & Ors' has passed the Order as under:-</p> <p><i>"It is directed that before sanctioning an electricity connection, the concerned electricity company shall ensure that the connection provided in any premises can be only for a user of the premises as is permitted by MPD-2021 as well as other bye-laws."</i></p> <p>The Hon'ble High Court of Delhi by an Order dated 20.12.2017 passed in WP(C) No. 11236 of 2017 titled as 'Parivartan Foundation vs. SDMC & Ors.' has directed as under:-</p> <p><i>"3. The BSES Rajdhani Power Limited and the Delhi Jal Board shall ensure that no connections are provided and water and electricity is not supplied to the buildings constructed in violation of law.</i></p> <p><i>4. In case, the connections have been given to the buildings constructed in violation of law, appropriate steps in accordance with law shall be taken regarding those connections."</i></p>
-----------	---